

**संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण  
चोरी करके जालसाजी से पैसा निकालने में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।**

**थाना धनघटा पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 644 / 2020 धारा 419 / 420 / 379 / 409 मे वांछित अभियुक्त सत्य प्रकाश पुत्र रामफेर निवासी मूड़ाडीहा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 29.10.2020 को तहसील धनघटा स्थित नायाब तहसीलदार के कार्यालय से 265500 का सहकारी बैंक का चेक चोरी करके फर्जी हस्ताक्षर से पैसा निकाला गया था। जिस संबन्ध में दिनांक 30.10.2020 को नायब तहसीलदार श्री रामसुख शर्मा तहसील धनघटा द्वारा उक्त अभियुक्त के विरुद्ध नायब तहसीलदार के कार्यालय से 265500 रुपये का सहकारी बैंक के चेक को चोरी करके फर्जी हस्ताक्षर से धन निकलाने के समबन्ध में थाना धनघटा पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमे आज दिनांक 02.11.2020 को धनघटा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त धनघटा तहसील स्थित उसके आवास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तारी टीम:- उ0नि0 श्री रमाकान्त यादव, कां0 शैलेन्द्र यादव

**01 अदद अवैध देशी पिस्टल व 02 अदद जिंदा कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार।**

**थाना कोतवाली पुलिस द्वारा** 01 अदद देशी पिस्टल व 02 अदद जिंदा कारतूस के साथ 01 युवक नाम पता अनिल पासवान पुत्र रमाशंकर पासवान निवासी पूर्वी बरदहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को कपिला पशु आहार चौराहा औद्योगिक क्षेत्र थाना कोतवाली खलीलाबाद से गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 631 / 2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

## 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 युवक गिरफ्तार ।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नाम पता विश्वनाथ पुत्र जंगीलाल निवासी भुवनलाल थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 333 / 2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

## शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना महली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी 1488 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल को पहुंचाया अस्पताल- पीआरवी 1492 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 14240 से दुर्घटना में घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा 01 मिनट में पहुंचकर घायल व्यक्ति को सी0एच0सी0 मलौली पहुंचाया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से समय से पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

**पीआरवी स्टाफ –** मुख्य आ0 अमला प्रसाद, हो0चा0 दिनेश चन्द्र।

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 52 वाहनो से 54500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**  
आज दिनांक 02-11-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 52 वाहनो से 54500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।